



स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

प्रेषक,

डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद

राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति

नालन्दा खुला विश्वविद्यालय

पटना

विषय:- विश्वविद्यालयों द्वारा लिये जानेवाले नीतिगत निर्णय के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नालन्दा खुला विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश तक के लिए कुलपति के पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत आपकी अस्थायी नियुक्ति की गयी है।

इस सचिवालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक- एल.एन.एम.यू.-22/2015-2383/रा.स.(1), दिनांक 20.10.2016 में निहित अनुदेश के अनुरूप माननीय कुलाधिपति-सह-महामहिम राज्यपाल, बिहार ने यह निदेश देने की कृपा की है कि कार्यकारी व्यवस्था के तहत नियुक्त कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय, किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय। इस प्रकार किसी भी नयी योजना या अन्य नये कार्य, जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जायें। विशेष परिस्थितिबश कार्यहित में किसी प्रकार के नीतिगत/ वित्तीय निर्णय लिये जाने की परम आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

हं/-

अनुलग्नक - यथा उपर्युक्त।

(डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017- 426 /रा०स०(1)

दिनांक:- 07-02-2017

प्रतिलिपि- वैज्ञानिक-डी सह प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग को राजभवन के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / गार्ड फाईल को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

स्पीड पोस्ट

पत्रांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017-

/रा०स०(1)

दिनांक:-

प्रेषक,

डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद

राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति

मौ.म.ह.अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय

पटना

विषय:-विश्वविद्यालयों द्वारा लिये जानेवाले नीतिगत निर्णय के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मौ.म.ह.अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश तक के लिए कुलपति के पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत आपकी अस्थायी नियुक्ति की गयी है।

इस सचिवालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक- एल.एन.एम.यू.-22/2015-2383/रा.स.(1), दिनांक 20.10.2016 में निहित अनुदेश के अनुरूप माननीय कुलाधिपति-सह-महामहिम राज्यपाल, बिहार ने यह निदेश देने की कृपा की है कि कार्यकारी व्यवस्था के तहत नियुक्त कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय, किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय। इस प्रकार किसी भी नयी योजना या अन्य नये कार्य, जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जायें। विशेष परिस्थितिवश कार्यहित में किसी प्रकार के नीतिगत/ वित्तीय निर्णय लिये जाने की परम आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

अनुलग्नक - यथा उपर्युक्त।

(डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017- 427 /रा०स०(1)

दिनांक:- 07-02-2017

प्रतिलिपि- वैज्ञानिक-डी सह प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग को राजभवन के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / गार्ड फाईल को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

स्पीड पोस्ट

पत्रांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017-

/रा०स०(1)

दिनांक:-

प्रेषक,

डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद

राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति

बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय

मुजफ्फरपुर

विषय:-विश्वविद्यालयों द्वारा लिये जानेवाले नीतिगत निर्णय के संबंध में।
महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश तक के लिए कुलपति के पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत आपकी अस्थायी नियुक्ति की गयी है।

इस सचिवालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक- एल.एन.एम.यू.-22/2015-2383/रा.स.(1), दिनांक 20.10.2016 में निहित अनुदेश के अनुरूप माननीय कुलाधिपति-सह-महामहिम राज्यपाल, बिहार ने यह निदेश देने की कृपा की है कि कार्यकारी व्यवस्था के तहत नियुक्त कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय, किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय। इस प्रकार किसी भी नयी योजना या अन्य नये कार्य, जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जायें। विशेष परिस्थितिवश कार्यहित में किसी प्रकार के नीतिगत/ वित्तीय निर्णय लिये जाने की परम आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

६०१-

(डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017-4928 /रा०स०(1)

दिनांक:- 07-02-2017

प्रतिलिपि- वैज्ञानिक-डी सह प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग को राजभवन के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / गार्ड फाईल को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य प्रदाधिकारी



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

स्पीड पोस्ट

पत्रांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017-
प्रेषक,

/रा०स०(1)

दिनांक:-

डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद

राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय

दरभंगा

विषय:-विश्वविद्यालयों द्वारा लिये जानेवाले नीतिगत निर्णय के संबंध में।
महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश तक के लिए कुलपति के पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत आपकी अस्थायी नियुक्ति की गयी है।

इस सचिवालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक- एल.एन.एम.यू.-22/2015-2383/रा.स.(1), दिनांक 20.10.2016 में निहित अनुदेश के अनुरूप माननीय कुलाधिपति-सह-महामहिम राज्यपाल, बिहार ने यह निदेश देने की कृपा की है कि कार्यकारी व्यवस्था के तहत नियुक्त कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय, किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय। इस प्रकार किसी भी नयी योजना या अन्य नये कार्य, जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जायें। विशेष परिस्थिति/वश कार्यहित में किसी प्रकार के नीतिगत/ वित्तीय निर्णय लिये जाने की परम आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017-429 /रा०स०(1)

दिनांक:- 07-02-2017

प्रतिलिपि- वैज्ञानिक-डी सह प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग को राजभवन के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / गार्ड फाईल को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

स्पीड पोस्ट

पत्रांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017-

/रा०स०(1)

दिनांक:-

प्रेषक,

डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद

राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति

मगध विश्वविद्यालय

बोधगया

विषय:-विश्वविद्यालयों द्वारा लिये जानेवाले नीतिगत निर्णय के संबंध में।
महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मगध विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश तक के लिए कुलपति के पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत आपकी अस्थायी नियुक्ति की गयी है।

इस सचिवालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक- एल.एन.एम.यू.-22/2015-2383/रा.स.(1), दिनांक 20.10.2016 में निहित अनुदेश के अनुरूप माननीय कुलाधिपति-सह-महामहिम राज्यपाल, बिहार ने यह निदेश देने की कृपा की है कि कार्यकारी व्यवस्था के तहत नियुक्त कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय, किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय। इस प्रकार किसी भी नयी योजना या अन्य नये कार्य, जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जायें। विशेष परिस्थितिवश कार्यरहित में किसी प्रकार के नीतिगत/ वित्तीय निर्णय लिये जाने की परम आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017- 430 /रा०स०(1)

दिनांक:- 07-02-2017

प्रतिलिपि- वैज्ञानिक-डी सह प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग को राजभवन के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / गार्ड फाईल को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

स्पीड पोस्ट

पत्रांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017-

/रा०स०(1)

दिनांक:-

प्रेषक,

डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद

राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

दरभंगा

विषय:-विश्वविद्यालयों द्वारा लिये जानेवाले नीतिगत निर्णय के संबंध में।
महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश तक के लिए कुलपति के पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत आपकी अस्थायी नियुक्ति की गयी है।

इस सचिवालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक- एल.एन.एम.यू.-22/2015-2383/रा.स.(1), दिनांक 20.10.2016 में निहित अनुदेश के अनुरूप माननीय कुलाधिपति-सह-महामहिम राज्यपाल, बिहार ने यह निदेश देने की कृपा की है कि कार्यकारी व्यवस्था के तहत नियुक्त कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय, किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय। इस प्रकार किसी भी नयी योजना या अन्य नये कार्य, जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जायें। विशेष परिस्थिति-वश कार्य-हित में किसी प्रकार के नीतिगत/ वित्तीय निर्णय लिये जाने की परम आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017- 431 /रा०स०(1)

दिनांक:-07-02-2017

प्रतिलिपि-वैज्ञानिक-डी सह प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग को राजभवन के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / गार्ड फाईल को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य सहायिका



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

स्पीड पोस्ट

पत्रांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017-

/रा०स०(1)

दिनांक:-

प्रेषक,

डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद

राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति

तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय

भागलपुर

विषय:-विश्वविद्यालयों द्वारा लिये जानेवाले नीतिगत निर्णय के संबंध में।
महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश तक के लिए कुलपति के पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत आपकी अस्थायी नियुक्ति की गयी है।

इस सचिवालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक- एल.एन.एम.यू.-22/2015-2383/रा.स.(1), दिनांक 20.10.2016 में निहित अनुदेश के अनुरूप माननीय कुलाधिपति-सह-महामहिम राज्यपाल, बिहार ने यह निदेश देने की कृपा की है कि कार्यकारी व्यवस्था के तहत नियुक्त कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय, किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय। इस प्रकार किसी भी नयी योजना या अन्य नये कार्य, जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जायें। विशेष परिस्थितिबश कार्यहित में किसी प्रकार के नीतिगत/ वित्तीय निर्णय लिये जाने की परम आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

अनुलग्नक - यथा उपर्युक्त।

(डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017- 432 /रा०स०(1)

दिनांक:- 07-02-2017

प्रतिलिपि- वैज्ञानिक-डी सह प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग को राजभवन के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / गार्ड फाईल को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

स्पीड पोस्ट

पत्रांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017-

/रा०स०(1)

दिनांक:-

प्रेषक,

डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद

राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति

पटना विश्वविद्यालय

पटना

विषय:-विश्वविद्यालयों द्वारा लिये जानेवाले नीतिगत निर्णय के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश तक के लिए कुलपति के पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत आपकी अस्थायी नियुक्ति की गयी है।

इस सचिवालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक- एल.एन.एम.यू.-22/2015-2383/रा.स.(1), दिनांक 20.10.2016 में निहित अनुदेश के अनुरूप माननीय कुलाधिपति-सह-महामहिम राज्यपाल, बिहार ने यह निदेश देने की कृपा की है कि कार्यकारी व्यवस्था के तहत नियुक्त कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय, किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय। इस प्रकार किसी भी नयी योजना या अन्य नये कार्य, जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जायें। विशेष परिस्थिति-वश कार्य-हित में किसी प्रकार के नीतिगत/ वित्तीय निर्णय लिये जाने की परम आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक - यथा उपर्युक्त।

ह०/-

(डॉ० ई० एल० एस० एन० बाला प्रसाद)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-बी०एस०यू०(निर्देश)-8/2017- 433 /रा०स०(1)

दिनांक:-07-02-2017

प्रतिलिपि- वैज्ञानिक-डी सह प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग को राजभवन के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / गार्ड फाईल को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी